अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, 22 गोदाम पुलिया के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)( )आई.सी.पी.एस/बाल श्रम/मुबाअ/सान्याअवि/12/ 60363 जयपुर, दिनांक 21/08/12

आदेश

विषयः– किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बालश्रम/तस्करी की रोकथाम के सम्बन्ध में।

राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों के संरक्षण, देखभाल एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय एवं विशेष अधिनियम ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000'' एवं राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 का क्रियांन्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अन्तर्गत देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संरक्षण, देखभाल, पुनर्वास एवं मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति (प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियॉ प्राप्त) गठित है। बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना भी लागू की गई हैं, जिसके तहत राज्य स्तर पर राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं प्रत्येक जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ गठित की गई है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 2(T) के तहत बच्चे की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिनियम की धारा 2(D)(ia) में कामकाजी बच्चों (बाल श्रमिक) एवं धारा 2(D)(vii) में तस्करी के पीड़ित बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति बच्चे को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में नियोजित करता है और स्वयं के निजी अर्थोपार्जन के उद्देश्यों से बच्चे से अर्थोपार्जन करवाता है, उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 23 व 26 जो कि एक संज्ञानात्मक अपराध है, के अन्तर्गत तहत कार्यवाही की जा सकती हैं।

अधिनियम की धारा 63 के तहत राज्य के सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं धारा 63 (2) के तहत प्रत्येक पुलिस थाने में किशोर या बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त हैं। जिले में बच्चों के विरूद्ध हो रहे अपराध एवं उत्पीड़न की रोकथाम हेतु नियम 84 में इकाई के कार्य निर्धारित किये गये है।

अधिनियम की धारा 32 के तहत प्रत्येक देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को किसी भी समय (24 घन्टे के अन्दर) समिति के अध्यक्ष/सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे बच्चों के संरक्षण एवं पुर्नवास के लिए बाल कल्याण समिति ही सक्षम प्राधिकारी है।

राज्य में बाल श्रम की रोकथाम हेतु पृथक से बाल श्रम (प्रतिषेध एवं नियोजन) अधिनियम, 1986 क्रियान्वित किया जा रहा है। अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कुछ व्यवसायों में ही नियोजन को प्रतिबन्धित करते हुए अन्य व्यवसायों में बच्चों के नियोजन को जायज ठहराया गया है। अधिनियम के तहत श्रम अधिकारी/पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है तथा मुक्त कराये गये बच्चों को स्वंय के स्तर पर ही परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता है। उक्त कार्यवाही के दौरान नियोक्ता के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही तथा बाल श्रमिक का समुचित पुर्नवास नहीं हो पाता है। उक्त प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की भावना एवं प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। किसी भी परिस्थिति में बाल कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार/निर्धारित प्रक्रिया को अलग नहीं किया जा सकता है। बाल श्रम विषय को बाल संरक्षण के दायरे में देखा जाना चाहिए तथा बच्चों के संरक्षण एवं पुर्नवास कार्यवाही में एकरूपता भी सुनिश्चित की जानी अति–आवश्यक है।

बच्चों के सर्वोतम हित एवं न्याय संगत कार्यवाही हेतु किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं संगत राज्य नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जानी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सम्पूर्णा बहुरूआ बनाम भारत सरकार एवं मा0 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 2069/2005 बचपन बचाओं आंदोलन बनाम भारत सरकार में अधिनियम के क्रियान्वयन एवं बाल श्रम को गम्भीरता से लिया गया है। उक्त निर्णय में किशोर न्याय अधिनियम, 2000 को ही आधार मानकर बाल श्रम की रोकथाम हेतु आदेश पारित किया है। राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भी इस सम्बन्ध में कई दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बडी संख्या मे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे विषम परिस्थितियों मे कार्य कर रहे है। बच्चे जैम पॉलिशिंग, आरी–तारी, कारपेट बनाने, ईंट भट्टों, घरेलू श्रमिक, कचरा बिनने, भिक्षावृत्ति, बीड़ी उद्योग, खदानो, कृषि व्यवसाय, चाय की थड़ियों, व ढाबों सहित अनेक कार्यो में कार्यरत है। उक्त व्यवसायों मे स्थानीय बच्चों के अलावा अन्य राज्यों जिनमें प. बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यू.पी., दिल्ली, झारखण्ड आदि के बच्चे भी बड़ी संख्या में सम्मिलित है। बच्चों को बी.टी. कॉटन व अन्य कार्यो हेतु तस्करी कर राज्य से बाहर भी ले जाया जा रहा है। इन बच्चों को बंधुआ श्रमिक बनाकर लगभग 10–16 घंटे तक काम लिया जा रहा है।

बाल श्रम राज्य सरकार की हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा मे भी बाधक है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में 18 वर्ष से कम उम्र के कामकाजी बच्चों की पहचान, मुक्ति, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु सभी सम्बन्धितों के लिये मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

पुलिस विभाग –

1. बाल श्रमिकों/तस्करी पीड़ित बच्चों को मुक्त कराने एवं रोकथाम की कार्यवाही में स्थानीय पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं मानव तस्करी विरोधी इकाई द्वारा सकियता एवं गोपनीयता से भाग लिया जायेगा।

2. बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले एवं उनकी तस्करी में लिप्त नियोजकों एवं दलालों के खिलाफ पुलिस महानिदेशक द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।
3. स्थानीय पुलिस सतत् रूप से थाने क्षेत्र में बाल श्रमिकों की पहचान का कार्य करेगी। यदि बाल श्रमिक कम संख्या में थाने क्षेत्र में नियोजित हैं, तो उन्हें स्वतः संज्ञान लेकर स्वंयसेवी संस्थाओं के सहयोग से तुरन्त मुक्त करायेगी।
4. पुलिस थाने के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रत्येक बाल श्रमिकों को तत्काल सम्बन्धित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनके आदेश से अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
5. बाल श्रमिकों की आयु का निर्धारण किशोर न्याय (बालको की देख–रेख एवं सरंक्षण) अधिनियम 2000 के अनुसार ही किया जायेगा।
6. पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त अधिनियम/नियमों के प्रावधानों/विभिन्न दिशा–निर्देशों आदि के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई के समस्त सदस्यो/किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/जिला बाल संरक्षण इकाई/चाइल्ड लाईन एवं इस क्षेत्र में कार्यरत अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे तथा प्रगति रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण इकाई को दी जायेगी।

श्रम विभाग

1. संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से बाल श्रमिकों का सर्वे कराया जायेगा।
2. बाल श्रमिकों की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस एवं बाल कल्याण समिति के माध्यम से 24 घण्टे के अंदर कार्यवाही कर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जायेगा।
3. बाल श्रमिकों को छुड़ाते वक्त 14 वर्ष से ऊपर के उम्र के बच्चों को भी स्थानीय पुलिस के सहयोग से तुरंत मुक्त कराया जायेगा।
4. श्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक बाल श्रमिक को तत्काल सम्बन्धित बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
5. प्रत्येक दोषी नियोजक के विरूद्ध बाल श्रम (प्रतिबंधित एवं नियोजन) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत कार्यवाही एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के एम.सी. मेहता मामले में दिये आदेशानुसार 20,000/– की वसूली की जायेगी तथा प्रति बाल श्रमिक रू. 5000/– राज्य सरकार की ओर से बाल श्रमिक कल्याण कोष में जमा कराया जाकर उसके पुर्नवास पर खर्च किया जायेगा।
6. बाल श्रमिक नियोजनकर्ताओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट अधिनियम, अर्न्तराज्यीय श्रमिक अधिनियम, खान अधिनियम एवं ठेका श्रमिक प्रतिबन्ध एवं विनियम अधिनियम एवं अन्य श्रम अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की जायेगी।
7. श्रम अधिकारी द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई को दी जायेगी।

बाल कल्याण समिति

1. बाल श्रमिक/तस्करी की सूचना/शिकायत मिलने पर उनको मुक्त कराने की कार्यवाही हेतु पुलिस को आदेशित करेगी।
2. बाल श्रमिकों को मुक्त कराने की कार्यवाही के दौरान चाइल्ड लाईन सेवा (1098) एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी उपस्थित रहने तथा आवश्यकतानुसार सहयोग करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
3. बाल श्रमिको को मुक्त कराने की कार्यवाही के दौरान बाल कल्याण समिति के एक सदस्य उपस्थित रहेगा।
4. मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का संरक्षण पुलिस से अपने पास लेकर अधिनियम के अर्न्तगत संचालित बाल गृह में प्रवेशित करायेगी।
5. समिति नियमानुसार मामले की जॉच एवं निस्तारण हेतु बच्चों की सामाजिक पृष्टभूमि रिपोर्ट तैयार कर समुचित पुर्नवास सुनिश्चित करेगी।
6. बच्चों के पुर्नवास के लिए सम्बन्धित जिले की बाल कल्याण समिति/जिला प्रशासन एवं उनके परिजनों से समन्वय स्थापित कर पुर्नवास कार्यवाही की जायेगी। आवश्यकतानुसार स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकेगा।
7. समिति प्रकरण में प्रसंज्ञान लेते हुए विभिन्न अधिनियमों एवं आई.पी.सी. की धाराओं में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आदेशित करेगी।
8. समिति द्वारा की गई कार्यवाही की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को उपलब्ध कराई जायेगी।

जिला बाल सरंक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

1. बाल श्रमिकों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए समिति के आदेश से अधिनियम के अर्न्तगत पंजिकृत राजकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृह में प्रवेशित कराकर आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेगी।
2. मुक्त कराये गये बाल श्रमिक, जिनका कोई परिवार नहीं हो, को पंजिकृत राजकीय/स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृह के जरिये देखरेख सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
3. बाल श्रमिको के परिवारों की आर्थिक/सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनको प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा की योजना से जोड़ा जायेगा।
4. अन्य राज्यों से आ रहे बच्चों/काम के लिये अन्य राज्यों में भेजे जा रहे बच्चों के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों के विभागीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बच्चों के संरक्षण के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाई जायेगी।
5. जिले में भिक्षावृति में लिप्त बच्चों एवं परिवारो की पहचान हेतु स्वंयसेवी संस्थाओं के सहयोग से कार्य–योजना तैयार कर क्रियान्वित की जायेगी। भिक्षावृति में लिप्त बच्चों को आवासीय विद्यालय (भिक्षावृत्ति से जुडे बच्चों हेतु संचालित) में प्रवेशित कराया जायेगा।
6. मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों का आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति/जिला प्रशासन के आदेश से मारपीट/आयु निर्धारण का चिकित्सीय परीक्षण

किया जावेगा तथा सूचना सम्बन्धितों को उपलब्ध करायी जायेगी। जहां आवश्यकता होगी, बाल श्रमिक को तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

7. जिले में बच्चों के सरंक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने, उनकी मुक्ति, पुनर्वास की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट जिला कलक्टर एवं राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को दी जायेगी।

जिला प्रशासन

1. जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रमिक/तस्करी पीड़ित बच्चों को मुक्त कराने की कार्यवाही में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
2. जिले में कार्यरत व्यवसायियों के साथ समय–समय पर बैठक आयोजित कर बच्चों का नियोजन नही करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित करेगें।
3. बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 के तहत गठित सर्तकता समिति के माध्यम से बंधुआ बाल श्रमिक की पहचान की जायेगी।
4. प्रत्येक मुक्त कराये गये बाल श्रमिक के सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट के माध्यम से बयान दर्ज किया जाकर सुनिश्चित किया जायेगा कि वह बाल श्रमिक बंधक श्रमिक तो नहीं है। उक्त के अनुरूप नियोजनकर्ताओं के खिलाफ बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 के तहत कार्यवाही कि जायेगी तथा बाल श्रमिकों को नियमानुसार पुनर्वासित किया जायेगा।
5. प्रत्येक मुक्त कराये बाल श्रमिकों को मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।
6. अन्य राज्य के विभागों/निकायों जैसे रेलवे प्रशासन, परिवहन आदि से बाल श्रमिक की सुरक्षा एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में सहायता ली जायेगी।
7. स्थानीय क्षेत्र में बाल श्रमिक अधिक संख्या में हो तो उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने से पहले विशेष आवासीय विद्यालयों से जोड़ा जायेगा, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित किये जांयेगें।
8. बाल श्रमिकों के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अधिक खराब होने पर उन्हें विशेष योजना के तहत राशन, आवास एवं परिवार में किसी व्यवस्क को रोजगार व्यवसाय दिलाने की व्यवस्था तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा। बाल श्रमिक के परिवार के वयस्क सदस्यों को नरेगा आदि विकास कार्यक्रम के तहत् प्राथमिकता से कार्य उपलब्ध कराया जायेगा।
9. बाल श्रमिकों को शिक्षा विभाग के सहयोग से विद्यालय में प्रवेश देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसमें लिंग, धर्म अथवा अन्य कोई प्रमाण–पत्र की अड़चन नहीं लगायी जायेगी।
10. जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियमित रूप से बाल श्रम उन्मूलन हेतु जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

राज्य में सभी सम्बन्धितों तथा जिलों में पूर्व से गठित टॉस्क फोर्स द्वारा बाल श्रमिक/तस्करी पीड़ित बच्चों को मुक्त कराने की कार्यवाही अनिवार्यता से उपरोक्तानुसार ही की जायेगी। टास्क फोर्स की प्रत्येक पखवाड़े में बैठक आयोजित की जाकर कामकाजी बच्चों (बाल श्रमिकों) की पहचान, मुक्ति, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु आगामी रणनिति तैयार की जायेगी। जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/

कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट बच्चों के संरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी एवं जवाबदेह होगें। इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सी.के.मैथ्यू)
मुख्य सचिव

क्रमांक : एफ 14(1)( )आई.सी.पी.एस/बाल श्रम/मुबाअ/सान्याअवि/12/60364-565 जयपुर, दिनांक 21/08/12

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3 अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास/गृह/ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4 प्रमुख शासन सचिव, श्रम/विधि/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/स्कूल शिक्षा/राजस्व/महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेड़कर भवन, जयपुर।
6 सचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।
7 सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, राज. उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर को सूचनार्थ।
8 पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
9 समस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, ...।
10 समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति.....।
11 संभागीय आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर/ अजमेर/ बीकानेर/ भरतपुर/ उदयपुर/ कोटा।
12 समस्त जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई,..... .....को पालनार्थ।
13 पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर को पालनार्थ।
14 समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट.....को पालनार्थ।
15 समस्त पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त,.....राजस्थान पुलिस को पालनार्थ।
16 समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) ..... को पालनार्थ।
17 समस्त जिलाधिकारी, श्रम विभाग..... को पालनार्थ।
18 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.....को पालनार्थ।
19 समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी..... को पालनार्थ।
20 समस्त गृह अधीक्षक/अध्यक्ष/सचिव, स्वयंसेवी संस्था.....।
21 समस्त समन्वयक, चाईल्ड लाईन.....।
22 आदेश पत्रावली।

(अदिति मेहता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव